

राज्यपाल के अपर सचिव
क्र. एफ-13-7/रा.स./यू.ए.1/05/493

राजभवन, भोपाल - 462 003
दिनांक 14 मई, 2025

प्रति,

कुलगुरु,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषय - कार्यपरिषद् में संकायाध्यक्ष श्रेणी से नाम निर्देशन ।

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के प्रावधानान्तर्गत कुलाधिपतिजी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा निम्नांकित संकायाध्यक्षों को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् में संकायाध्यक्ष श्रेणी से सदस्य नामनिर्देशित किया जाता है :-

1. डॉ. नंदिनी भारिल्ल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय
2. डॉ. वीणा बाजपेई, संकायाध्यक्ष, गृह विज्ञान संकाय

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर के आदेशानुसार

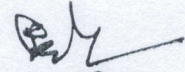
(सही / -)
राज्यपाल के अपर सचिव
मध्यप्रदेश

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

पृ० क्रमांक/अका./2025/222
प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित -

जबलपुर दिनांक 28/5/2025

1. डॉ. नंदिनी भारिल्ल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय ।
2. डॉ. वीणा बाजपेई, संकायाध्यक्ष, गृह विज्ञान संकाय ।
3. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण ।
4. राज्यपाल के अपर सचिव, राज भवन, म०प्र०, भोपाल 462 003 ।
5. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म०प्र० शासन, भोपाल ।
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म०प्र० शासन, भोपाल ।
7. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
8. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
9. स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त अधिसूचना को समाचार के रूप में प्रकाशित करें ।
10. विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड ।
11. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर से अनुरोध है कि इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।


कुलसचिव,

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर